(336)

"गोपनीय"

अमर सिंह चौहान
एच.जे.एस.

विश्राम कक्ष
जिला न्यायाधीश, मेरठ
अर्धशासकीय पंत्राक - 1863/I
दिनांक : 24.06.2014

req-139

प्रिय मुखर्जी,

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के गोपनीय पत्रांक ए–618/2014 'गोपनीय' दिनांकित 25.04.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण की प्रोन्नति की कार्यवाही करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के सम्बंध में माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय मेरठ द्वारा पारित आदेश 24.04.2014 से अवगत कराया गया है।

माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय के आदेश के अनुपालन में सादर अवगत कराना है कि उपरोक्त सम्बंध में श्री राजाराम सरोज अध्यक्ष प्रशासनिक समिति/अपर जिला जज कोर्ट नं0 1 मेरठ अपने पत्र दिनांकित 23.06.2014 के द्वारा अवगत कराया है कि वे दिनांक 03.06.2014 से 18.06.2014 तक अवकाश पर थे तथा इसी बीच सदस्य श्री एम0 पी0 सिंह विशेष न्यायाधीश ई0सी0 एक्ट मेरठ भी ग्रीष्मकालीन अवकाश पर चले गये। जिससे प्रशासनिक समिति का मीटिंग नहीं बुलायी जा सकी। उनके द्वारा आख्या प्रस्तुत करने हेतु एक माह के अतिरिक्त समय की मांग की है। पत्र मूलरूप में साथ संलग्न है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त सम्बन्ध में आख्या देने हेतु एक माह के अतिरिक्त समय की मांग का संलग्न प्रार्थना पत्र माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति, मेरठ को सादर अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय,

(अमर सिंह चौहान)

सेवा में

श्री ए0के0 मुखर्जी, एच.जे.एस.
निबंधक (गोपनीय)
माननीय उच्च न्यायालय
लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ।

D.R. (Conf.)

Sr. R. [illegible]
03.7.2014

प्रेषक,

राजाराम सरोज,
अपर जिला जज, कोर्ट सं01, मेरठ।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
मेरठ।

विषय– तृतीय श्रेणी कर्मचारीयों के प्रोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में समय बढ़ाने हेतु ।

महोदय,

निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के लखनऊ खंडपीठ लखनऊ के अर्द्धशासकीय पत्र सं0 ए–618/2014 'गोपनीय' दिनांकित 25–4–14 के द्वारा आदेश किया गया था कि दि0 23–6–14 तक तृतीय श्रेणी कर्मचारी कार्यालय जनपद सिविल कोर्ट मेरठ के प्रोन्नति की कार्यवाही करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिसपर आप द्वारा दि0 3–5–14 को आदेश किया गया था कि प्रशासनिक समिति अपनी आख्या दिनांक 10–6–14 तक प्रस्तुत करे। साथ ही यह भी आदेश किया था कि श्री मदनपाल सिंह विशेष न्यायाधीश, ई0सी0 ऐक्ट वार्षिक प्रविष्टी के सम्बन्ध में कर्मचारियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करें परन्तु अभी तक रिपोर्ट उनके द्वारा जांच करके प्रस्तुत नहीं की गयी है साथ ही प्रार्थी दि0 3–6–14 से 18–6–14 तक अवकाश पर था। इसलिए प्रशासनिक समिति की मीटिंग नहीं बुलायी जा सकी क्योकि इस बीच एक सदस्य श्री मदनपाल सिंह विशेष न्यायाधीश ई0सी0 ऐक्ट भी ग्रीष्मकालीन अवकाश पर थे।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि कम से कम एक माह का समय उपरोक्त कार्य के लिए प्रशासनिक समिति को देने की कृपा करें व माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति मेरठ से समय बढ़वाये जाने की कृपा करें ।

दिनांक– 23–6–14

भवदीय,

23/6/014

। राजाराम सरोज ।
अपर जिला जज, कोर्ट सं01,
मेरठ।

Digitally signed by Sant Lal Sharma
Date: 2019.11.05 15:52:50 IST
Reason: A.R.(ADMIN-H)
Location: High Court, Allahabad